न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर (राज0)

अपील संख्या	रजि0 न0	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
11/26/2022	2022/71	04.02.2022	04.04.2023

1. दीनू पुत्र श्री मौजी, जाति मेव, निवासी नंगलीपठान, तहसील किशनगढबास, जिला अलवर (राज0)।

अपीलाण्ट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार किशनगढबास, जिला अलवर।

असल रेस्पोडेन्ट

2. उमर पुत्र हुसैन संरक्षक जाहिरखां नाबालिग, जाति मेव निवासी ओदरा, तहसील किशनगढ बास, जिला अलवर

तरतीबी रैस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू0 राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध आदेश तहसीलदार राजगढ दिनांक 01.01.2019 नामान्तकरण संख्या 952 वाके ग्राम नंगलीपठान तहसील किशनगढबास

उपस्थितः–

01. श्री जर्नादन शर्मा – वकील अपीलाण्ट
02. राजकीय अभिभाषक – रेस्पोडेन्ट

–:: निर्णय ::–

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार राजगढ के निर्णय दिनांक 01.01.2019 नामान्तकरण संख्या 952 वाके ग्राम नंगलीपठान तहसील किशनगढबास जिसके द्वारा नामान्तकरण का स्वीकार किया गया है, से व्यथित होकर पेश की है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रैस्पोडेन्टस को नोटिस जारी किया गया। उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषक उपस्थित उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई। विद्वान अपीलान्ट वकील ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया है कि अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 01.01.2019 की जानकारी सर्वप्रथम अपीलाण्ट को दिनांक 28.03.2019 को हुई, जब अपीलाण्ट अपनी खरीदशुदा आराजी के नामान्तकरण की नकल लेने के लिए पटवारी हल्का के पास गया, तब जानकारी हुई कि नामान्तकरण खारिज कर दिया गया है। जिस पर अपीलाण्ट द्वारा दिनांक 28.03.2019 को नकल के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। जो नकल दिनांक 28.03.2019 को ही तैयार होकर प्राप्त हुई। अपीलाण्ट द्वारा उक्त आराजी खसरा नं0 280 रकबा 0.46 है0 में से 1/8

अतिरिक्त जिला कलैक्टर
(द्वितीय) अलवर (राज0)

हिस्सा, 274 रकबा 0.22 है0 में से 1/8 हिस्सा, 277 रकबा 0.16 है0, 278 रकबा 0.14 है0 भूमि वाके ग्राम नंगलीपठान तहसील किशनगढबास से जरिये रजिस्टर्ड बयनामा जाकिर खां पुत्र उमर खां नाबालिग जाति मेव निवासी ओदरा तहसील किशनगढबास जरिये सरपरस्त पिता उमर पुत्र हुसैन द्वारा क्रय की गई, तथा वक्त खरीद से ही अपीलाण्ट का मौके पर कब्जा काश्त चला आ रहा है। अपीलाण्ट सदभावी क्रेता है, तथा उचित प्रतिफल तथा सरकारी स्टाम्प फीस नियमानुसार अदा कर उप पंजियक किशनगढबास के यहाँ बयनामा पंजिबद्व कराया गया है। कानूनन रजिस्टर्ड बयनामा के आधार पर अधिनस्थ न्यायालय को उक्त खरीदशुदा आराजी के रकबे का नामान्तकरण दर्ज किया जाना न्यायसंगत था। किन्तु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विक्रेता को नाबालिग मानते हुए नामान्तकरण खारिज कर अहम कानूनी गलती की है। इसलिए अपील अपीलाण्ट काबिल मन्जूर है। रजिस्टर्ड बयनामा में यह तथ्य उल्लेखित है कि नाबालिग जाहिर खां की शिक्षा व दीक्षा व लालन पालन हेतु रूपये की आवश्यकता है इसीलिए नाबालिग के हितों की रक्षार्थ आराजी का विक्रय किया जा रहा है। इस तथ्य की उप पंजियक किशनगढबास को बखूबी जानकारी थी। उसके बावजूद उप पंजियक द्वारा विक्रय पंजिबद्व किया गया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा आलोच्य आदेश पारित करते समय अपीलाण्ट को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया, तथा बिना अपीलाण्ट को सुनवाई का अवसर दिये नामान्तकरण खारिज करने के आदेश पारित किए गए जो आदेश न्याय के प्राकृतिक सिद्वान्त होने के कारण काबिल निरस्त है। अपीलाण्ट ने अपील के समर्थन में रजिस्टर्ड बयनामा दिनांक 13.10.2018 की प्रति प्रस्तुत की गई। अपीलाण्ट वकील ने अपील के समर्थन में नजीर आरबीजे(18) 2011 पेज संख्या 89 एवं 533 पेश किए गए है।

अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 01.01.2019 नामान्तकरण संख्या 952 वाके ग्राम नंगलीपठान तहसील किशनगढबास को निरस्त किया जाकर अपीलाण्ट के हक में पंजिबद्व विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तकरण स्वीकार किया जाने के आदेश प्रदान किये जावे।

सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र दफा 05 परिसीमा अधिनियम 1963 पर विचार किया। अपील दिनांक 12.04.2019 को इस न्यायालय में पेश की गई। दिनांक 01.01.2019 से 28.03.2019 तक का समय काबिल माफी है तथा कन्डोन किये जाने योग्य है। माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा भी विभिन्न दृष्टान्तों में मियाद के बिन्दु पर नरमी का रूख अपनाने का सिद्धान्त प्रतिपादित किया हुआ है। अतः नरमी का रूख अपनाते हुए विलम्ब को माफ कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

पत्रावली का अवलोकन किया। वकील अपीलान्ट की बहस व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का चिन्तन–मनन करने पर जाहिर होता है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 01.01.2019 को रजिस्टर्ड बयनामा का नामान्तकरण संख्या 952 को विक्रेता को नाबालिग मानते हुए खारिज कर दिया गया, जबकि अपीलाण्ट ने बयनामा में अपने निजी एवं पारिवारिक आवश्यकताओं की पूर्ती व नाबालिग पुत्र जाहिर खां की शिक्षा दीक्षा व पालन पोषण हेतु रूपयों की आवश्यकता के अनुसार बेचान किया गया जो न्यायहित में उचित प्रतीत होता है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विक्रय पत्र का नामान्तकरण दर्ज नहीं किया जाना न्यायोचित प्रतीत होने पर खारिज योग्य है। अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत नजीर आरबीजे(18) 2011 पेज संख्या 89 एवं 533 से भलीभांती सिद्व होता है कि विक्रेता नाबालिग होने की स्थिति में

अतिरिक्त जिला कलैक्टर
(द्वितीय) अलवर (राज0)

नामान्तकरण दर्ज नहीं किया जा सकता बल्कि रजिस्टर्ड बेचान पत्र का नामान्तकरण दर्ज कराने का अधिकार रखता है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर तहसीलदार किशनगढवास द्वारा पारित निर्णय दिनांक 01.01.2019 नामान्तकरण संख्या 952 वाके ग्राम नंगलीपठान तहसील किशनगढवास निरस्त किया जाता है। प्रकरण इस निर्देश के साथ तहसीलदार किशनगढवास को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलाण्ट का प्रश्नगत बयनामा के आधार पर विधिवत जॉच कर विधिसम्मत नामान्तकरण दर्ज करने की कार्यवाही की जावे। निर्णय की प्रमाणित प्रति तहत अदालत को तहत रिकार्ड के साथ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तामील तकमील लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 04.04.2023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(इन्द्रजीत सिंह)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज0)

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
(द्वितीय) अलवर (राज०)